

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230325
SG-DL-E-11102021-230325

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 204
No. 291]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 204

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2021

फा. सं. 50(46)/89/औ.नि./स्था./पार्ट फा./44-51.-औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 2 के उप नियम (1) के साथ पठित नियम 59 के उप नियम (1) तथा नियम 67-क के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निम्नलिखित सहायक औषधि नियंत्रकों को उक्त नियमावली के भाग VI तथा VI-क के संबंध में सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:-

1. श्री राजीव भार्गव
2. श्री रोहित बाजपेयी
3. श्री संदीप बी.जीवनापुरकर
4. श्री दीपक शर्मा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

आर.पी.एस. मोखा, उप सचिव

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 7th October, 2021

F. No. 50(46)/89/DC/Estt/Part File/44-51.--In exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of rule 59 and sub-rule (1) of rule 67-A, read with sub-rule (i) of rule 2 of the Drugs & Cosmetics Rules, 1945, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Assistant Drugs Controllers, of the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi as Licensing Authority in respect of part VI and part VI-A of said rules for whole of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Sh. Rajeev Bhargava
2. Sh. Rohit Bajpai
3. Sh. Sundeep B. Jivnapurkar
4. Sh. Deepak Sharma

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. P. S. MOKHA, Deputy Secy. (Health & FW)